है। माननीय मंत्री जी ने यह भी बताया हैं कि उन्होंने 12 लाख रुपया उस हवाई पट्टी के ऊपर खर्च किया है लेकिन वे वहां एअर सर्विस आपरेट नहीं करने जा रहे हैं, तब तो उस 12 लाख रुपए का उन्होंने दुरुपयोग किया है, यदि एयर सर्विस न चलायें। मैं यह जानना चाहूंगा कि 1000 फीट जो पट्टी है, उस को आपरेशन के काबिल बनाने के लिए कितना रुपया खर्च आएगा और उस रुपए को क्यों नही खर्च करते है।

श्री पुरुषोतम कोशिक : हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि उस पर हवाई सेवा शुरु हो। जहां तक हवाई पट्टी बनाने का सवाल है, इसके लिए छठी पंच-वर्षीय योजना मे 11 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है और निश्चित तौर पर हमारी कोशिश होगी कि हम इस काम को शरु करें।

'कोफपोसा' के अन्तर्गत जारी किये गये गिरफ्तारी वारन्ट

*640. **श्री हुकम चन्द कछवाय** क्या वित्त मंत्री निम्नलिखित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक प्रत्येक राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार द्वारा 'कोफेपोसा' के अन्तर्गत कितने गिरफ्तारी वांरट जारी किए गए ;

(ख) उनमें से कितने पहली सरकार द्वारा जारी किए गए थे और कितने वर्तमान सरकार द्वारा जारी किए गए थे ;

(ग) इन वांरटो के आधार पर कितने लोग पकड़े गए है; और

(घ) शेष को पकडने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री सतीश अग्रवाल) : (क) से (ग). आपात स्थिति हटने से पहले (19-12-1974 से 20-3-1977 तक) विदेशी मुद्रा सरक्षण और तस्करी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1974 के उपबंधों के अधीन, केन्द्रीय सरकार और विभिन्न राज्य सरकारो द्वारा, जारी किए गए नजरबंदी आदेशों की सख्या का और उनमे से 25 मार्च, 1978 तक नजरबद रखे गए व्यक्तियों का विवरण-पत्र सदन पटल पर रखा गया है। (विवरण-पत्र 'क') आपात-स्थिति हटने के बाद और 25 मार्च, 1978 तक (21-3-1977 से 25-3-1978 तक)' केन्द्रीय सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उक्त, अधिनियम के उपबंधो के अधीन, जारी किए नजरबंदी के आदेशो की संख्या का और उनमे से 25 मार्च, 1978 तक नजरबंद रखे गए व्यक्तियों का एक अन्य विरण-पत्र भी सदन पटल पर रखा गया है (विवरण-पत्र 'ख')।

(घ) 25-3-1978 की स्थिति के अनुसार उक्त अधिनियम के उपबंधो के अन्तर्गत जिन व्यक्तियों को नजरबंद रखने के आदेश दिए गए थे उनमें से 189 व्यक्ति फरार थे अथवा नजरबंद नहीं किए जा सके थे। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सम्पत्तियो की कुर्की की कार्यवाही, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973, की धारा 82 से 85 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 77 के अन्तर्गत की गई है।

विवरण 'क'

आपात स्थिति हटने से पूर्व (अर्थात् 19-12-1974 से 20-3-77 के दौरान), विदेशी मुद्रा सरक्षण और तस्करी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1974 के अधीन जारी किए गए आदेशो की संख्या और उनमे से 25-3-1978 तक नजरबन्द रखे गए व्यक्तियों की सख्या

क्रम सख्या	नजरबन्द रखने वाला प्राधिकरण	आपात स्थिति हटने से पूर्व (अर्थात 19-12-1974 से 20-3-1977 के दौरान जारी किए गए नजरबन्दी के आदेशो की सख्या	कालम (3) मे दिखाये गए नजरबन्दी के आदेशो मे से 25-3-1978 तक नजरबद रखे गए व्यक्तियो की संख्या
1	2	3	4
1	केन्द्रीय सरकार	322	278
2	आन्ध्र प्रदेश	48	42
3	असम	78	73
4	बिहार	280	116
5	चण्डीगढ	2	1
6	दादर और नगर हवेली	2	2
7	दिल्ली	58	53
8	गोआ, दमन और दिव	70	67
9	गुजरात	494	470
10	हरियाणा	5	5
11	जम्मू और कश्मीर	14	14
12	करनाटक	119	117
13	केरल	111	110
14	मध्य प्रदेश	26	26
15	महाराष्ट्र	726	648
16	मणिपुर	21	18
17	मेघालय	6	6
18	नागालैण्ड	1	1
19	उडीसा	3	3

1	2	3	4
20	पाण्डिचेरी	4	4
21	पंजाब	146	142
22	राजस्थान	14	14
23	तमिलनाडु	329	318
24	त्रिपुरा	54	46
25	उत्तर प्रदेश	180	153
26	पश्चिम बंगाल	235	191
	कुल :	3348	2918*

*इसमें से, 39 व्यक्ति आपात स्थिति हटने के बाद नजरबन्द रखे गए हैं।

विवरण 'ख'

आपात स्थिति हटने के बाद 25 मार्च, 1978 तक, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1974 के अधीन जारी किए गए आदेशों की संख्या और उन में से 25 मार्च, 1978 तक नजरबन्द रखे गए व्यक्तियों की संख्या।

क्रम संख्या	नजरबन्द रखने वाला प्राधिकरण	आपात स्थिति हटने के बाद जारी किए गए नजरबन्दी के आदेशों की संख्या	कालम (3) में दिखाए गए नजरबन्दी के आदेशों में से 25-3-1978 तक नजरबन्द रखे गए व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4
1	केन्द्रीय सरकार	7	6
2	दिल्ली	11	8
3	गोआ, दमन और दिव . . .	1	1
4	गुजरात	34	33
5	करनाटक	19	19
6	महाराष्ट्र	56	51

1	2	3	4
7	मणिपुर	3	1
8	पजाब . .	13	11
9	तमिलनाडु . .	13	11
10	उत्तर प्रदेश	11	10
11	पश्चिम बगाल	18	9
	जोड	186	160

श्री हुकम चन्द कछवाय · आपातकालीन स्थिति की घोषणा के बाद कोफेपोसा के अन्तर्गत काफी लोगो को बन्द किया गया और काफी लोग फरार रहे । क्या यह बात सही है कि फरार लोगो को अब तक गिरफ्तार नही किया जा सका है? क्या यह बात भी सही है कि जो लोग फरार हैं वे मीसा के कारण फरार रहे या बदले की भावना से भी फरार रहे ? क्या यह भी बात सही है कि इन से बदला लेने की भावना से इन पर आरोप लगाये गए थे ? क्या सरकार यह आश्वासन देगी जो लोग अभी तक पकडे नही गए है उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी ? क्या सरकार इस प्रकार का कोई विचार रखती है ?

श्री सतीश अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, 19-12-74 से 20-3-77 तक जिन लोगों के खिलाफ डिटेंशन आर्डर्स जारी किए गए थे उनकी सख्या 3348 थी। उनमें से 2879 व्यक्तियो को गिरफ्तार किया गया · वे एमर्जेंसी तक गिरफ्तार किए गए थे । बाकी व्यक्ति फरार रहे जो कि नही पकड़े जा सके । जो फरार व्यक्ति थे उनकी संख्या 469 थी । काफी व्यक्ति एमर्जेंसी रिवोक होने के बाद छोड़ दिए गए । एमर्जेंसी के रिवोक होने के बाद एब्सकाण्डर्स की सख्या 257 थी । उन 257 व्यक्तियो के केसिज रिव्यू किए गए और रिव्यू किए जाने के बाद 54 व्यक्तियो के खिलाफ आर्डर्स रिवोक किए गए और 39 व्यक्तियो को गिरफ्तार कर लिया गया । जिन व्यक्तियो के खिलाफ एमर्जेंसी के दौरान डिटेंशन आर्डर्स जारी किए गए थे उनमे से केवल 164 व्यक्ति ऐसे है जो अभी तक फरार हैं गिरफ्तार नही किए जा सके हैं । भारत सरकार ने फ्रेश गाइडलाइस 1 सितम्बर, 1977 को जारी कि हैं । उनके अनुसार इन सारे केसिज का समय समय पर रिव्यू किया जाता है । मेरिट के अनुसार जिनके डिटेंशन आर्डर रिवोक करना जरूरी समझा जाता है , उनके डिटेंशन आर्डर्स रिवोक कर दिए जाते हैं ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : मैंने पूछा था कि जो लोग पकडे नही गए है, क्या उनके बारे मे सरकार न्यायालय मे जाने को तैयार है ?

MR SPEAKER He has said that they are being considered on merits

श्री हुकम चन्द कछवाय : मेरे प्रश्न का जवाब देंगे तभी मैं दूसरा पूरक प्रश्न करूंगा ।

पहले मंत्री जी इसका खुलासा कर दें कि क्या वे न्यायालय मे जाने की स्थिति मे है या नही ?

श्री सतीश अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, जो केसिज न्यायालय मे जा सकते है उनके बारे मे हम न्यायालय मे जा रहे है। साधारणत हमारी नीति यही है कि लोगो को कोर्ट मे प्रासीक्यूट किया जाए। लेकिन माननीय सदस्य समझते है कि बहुत सारे फाइनेंशियल आरगेनाइजेशन्स है जिनके खिलाफ सक्सेसफुल्ली प्रासीक्यूशन नही हो सकता है वे इन एक्टीविटीज मे दुबारा इन्वाल्व न हो उनके खिलाफ ये आर्डर्स है और उनका रिवोक करने के बारे मे मेरिट पर कार्यवाही की जाती है।

श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या सरकार का ध्यान मद्रास हाई कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट के उस निर्णय की ओर गया है जिस मे पिछली सरकार ने काफेपोसा जो लगाया था उसके खिलाफ इन न्यायालयो ने अपने निर्णय दिए हैं ? सरकार का उनके बारे मे क्या मत है।

श्री सतीश अग्रवाल . मद्रास हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमे उन्होने यह होल्ड किया है कि धारा 12ए के तहत एमरजेन्सी के दौरान जो डिक्लेरेशन दिए गए थे यानी ग्राउन्ड्ज फर्निश नही किए जाए यह आवश्यक नहीं है उसके आधार पर मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि ऐसे डिटेंशन आर्डर के आधार पर उस व्यक्ति को छोड दिया जाए उसके विरुद्ध भारत सरकार ने स्पैशल लीव पैटीशन सुप्रीम कोर्ट मे की हुई है। गुजरात हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट ने जो एमरजेंसी के दौरान धारा 12ए के डिक्लेरेशन थे उन आर्डर्ज का अपहोल्ड किया है हालाकि वह चीज वहा चैलेंज नही की गई है।

SHRI HITENDRA DESAI: Sir, with regard to the detentions under COFEPOSA, is the policy of the present Government the same as was adopted during the emergency, or is there any change due to the change of heart?

SHRI SATISH AGRAWAL The policy of the present Government is not the same as during the Emergency. During the Emergency persons were indiscriminately and arbitrarily arrested while now people are being arrested on a selective basis on the evidence available before the Government

श्री ब्रज भूषण तिवारी ऐसे तस्करो का जिन का इटरपोल पुलिस ने भारत सरकार को हस्तान्तरित किया था उन मे से कितने जेल मे है और कितने इस समय बाहर है ?

श्री सतीश अग्रवाल मैंने निवेदन किया है कि कुल डेटेन्यूज की संख्या 145 है। सेंट्रल गवर्नमेंट डेटेन्यू 6 है और स्टेट गवर्नमेंटस डेटेन्यूज 139 है। इटरपाल द्वारा हैड ओवर किए गये लोगो की इन मे संख्या क्या है इसकी जानकारी इस वक्त मेरे पास नही है और अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो मैं दे दूगा।

मोती डूगरी महल की तलाशी में बरामद वस्तुएं

*641 **श्री रामनरेश कुशवाहा :** क्या वित्त मंत्री निम्नलिखित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि

(क) मोती डूगरी महल की तलाशी मे बरामद वस्तुओ का ब्योरा क्या है और वे कितनी मात्रा मे बरामद हुई;

(ख) इन वस्तुओ को किसने जमा किया था तथा कहा पर, और

(ग) उनका कुल मूल्य कितना है ?